प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –483/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. धर्मवाल पुत्र ख्यालीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ख्यालीराम पुत्र हरिराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री ख्यालीराम पत्नी छोटूराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री ख्यालीराम पत्नी रामेश्वर जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री माडुराम अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 109/85 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी स0 1 के पिता हरिराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी तथा ... प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 109/85 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्रएवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 109/85 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी स0 1 व वादी स0 2 प्रत्यके को 0.7590 हैक्ट भूमि को एवं प्रतिवादी स0 1 को 0.3795 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –483/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. धर्मवाल पुत्र ख्यालीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ख्यालीराम पुत्र हरिराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री ख्यालीराम पत्नी छोटूराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री ख्यालीराम पत्नी रामेश्वर जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 483 सन 2023 दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 109/85 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी स0 1 व वादी स0 2 प्रत्यके को 0.7590 हैक्ट भूमि का एवं प्रतिवादी स0 1 को 0.3795 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested